



2026:AHC:22441

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1337 वर्ष 2026

श्रीमती विमलेश और एक अन्य
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आकाश उपाध्याय त्रिपाठी, अशोक कुमार
: सी.एस.सी.

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपाध्याय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव को सुना।

2. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें चयन समिति द्वारा विधिवत चयनित किया गया था और वर्ष 2003 में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अलीगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 25.03.2025 को उनके पक्ष में आर्थिक लाभ प्रदान करने का आदेश पारित किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ताओं को नियमित वेतन तो मिल रहा है, लेकिन जनवरी 2025 के महीने का बकाया वेतन अभी तक नहीं दिया गया है।

3. इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि उसे प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।

4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता का जो भी दावा हो, वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दिनांक 25.03.2025 के आदेश पर निर्भर करता है, यदि उक्त आदेश अभी भी लागू है, तो याचिकाकर्ता उस संबंध में लाभ का हकदार है।

5. पीठ पर प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, रिट याचिका को निस्तारण किया जाता है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह 20.02.2026 तक अलीगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से एक विस्तृत अभ्यावेदन, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के माध्यम से संपर्क करें उक्त प्रस्ताव के अंतर्गत 25.03.2025 के आदेश से प्राप्त होने वाले आवश्यक लाभ छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रदान किए जाएंगे, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त आदेश अस्तित्व में है या नहीं।
(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

2 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"